न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखन्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 19, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.-0744-[illegible]

GCMS NO.-2024/252
मिसल नम्बर- 76 / 2024

गोपीलाल उर्फ गोविन्द लाल पुत्र श्री रामचन्द्र उम्र 60 वर्ष निवासी बूटासिंह कॉलोनी वार्ड नं0 11 कैथून जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.दिनेश नामा पुत्र गोपीलाल उम्र 42 वर्ष
2.रेखा नामा पत्नी दिनेश नामा उम्र 40 वर्ष निवासीगण बूटासिंह कॉलोनी वार्ड नं0 11 कैथून जिला कोटा

अप्रार्थी।

-निर्णय-
(भरण-पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र)

उपस्थितिः-

दिनांक 20/5/25

1.श्री महेन्द्र राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री पंकज लोधा अधिवक्ता अप्रार्थीगण

भरण-पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी पक्ष द्वारा निवेदित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक मकान संख्या 290 पैमाईश 20 गुणा 40 वर्गफुट वाके-बूटा सिंह कॉलोनी, कैथून, जिला कोटा में स्थित हैं जो कि खसरा नं. 1378 का एक भाग हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त मकान को अपनी स्वर्जित आय से खरीद किया गया था । जिसका भू-आंवटन पत्र प्रार्थी के पक्ष में नगर पालिका कैथून जिला कोटा द्वारा दिनांक 18.02.2014 को जारी किया हुआ हैं। प्रार्थी का एक बड़ा पुत्र दिनेश नामा है जो कि प्रार्थी के मकान के पास दूसरी गली में रहता है जिसको मकान बनाने के लिये तीन साल पूर्व प्रार्थी ने पिता का फर्ज निभाते हुये राशि 3,00,000/- रूपये अक्षरे तीन लाख रूपये दिये थे । प्रार्थी के बड़े पुत्र को प्रार्थी द्वारा मकान बनवाकर दे दिया गया। तब से ही प्रार्थी का बड़ा पुत्र उक्त मकान में मय परिवारजन सहित निवास करता चला आ रहा है। फिर भी प्रार्थी का बड़ा पुत्र दिनेश, प्रार्थी के पट्टेशुदा मकान पर जबरदस्ती व नाजायज रूप से कब्जा करना चाहता हैं और आये दिन प्रार्थी के घर पर आकर गाली- गलौच करते हुए लड़ाई-झगड़ा करता। इसी क्रम में प्रार्थी द्वारा एक साल पूर्व भी प्रार्थी के साथ अप्रार्थी ने मारपीट की थी जिसकी शिकायत थाना कैथून ग्रामीण, कोटा में की गई थी, फिर भी अप्रार्थी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और अप्रार्थी, प्रार्थी के मकान के असल दस्तावेजों को भी चुराकर अपने साथ ले गया और अप्रार्थी द्वारा प्राथी के उपर दबाव बनाते हुए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए प्रार्थी के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये तथा प्रार्थी को अंदेशा है कि

उपखण्ड अधिकारी

अप्रार्थी, प्रार्थी के हस्ताक्षर का गलत रूप से प्रयोग कर सकता है जबकि उक्त मकान प्रार्थी की स्वर्जित आय का हैं। उक्त मकान के अलावा प्रार्थी उसके छोटे पुत्र व उसकी पत्नी छोटे 2 बच्चों के पास उक्त मकान के अलावा कोई और मकान निवास करने हेतु नहीं है। अप्रार्थी दिनांक 22.07.2024 को प्रार्थी के घर पर आया और प्रार्थी के साथ गाली – गलौच करते हुए मारपीट करने पर उतारू हो गया जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को घर से जाने के लिये बोला तो अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई तथा प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उक्त मकान को खाली कर देना नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अप्रार्थी सदैव प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार की सम्पतियों को हड़प करने की नियत रही है तथा इस हेतु उसके द्वारा प्रार्थी को शारिरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा हैं। अप्रार्थी के उक्त कृत्य के कारण प्रार्थी व उसके परिवार का जीना दुश्वार हो गया हैं। अप्रार्थी वर्तमान में अच्छा व्यवसाय करता हैं जिससे अप्रार्थी को अपने परिवार के भरण–पोषण के लिए अच्छी खासी आय प्राप्त होती हैं। इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की चल–अचल सम्पति हड़प करने की बदनियति रखते हुए प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें प्रताड़ित करते हैं। ना तो अप्रार्थी, प्रार्थी व उसकी पत्नी की देखभाल व सार–संभाल करता हैं, ना ही उनका ईलाज करवाते हैं और अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के साथ आए दिन गाली–गलौच कर लड़ाई झगड़ा विवाद कर प्रार्थी को उक्त मकान से बेदखल करने की धमकी देते हैं। प्रार्थी के साम्पतिक, प्राण एवं दैहिक अधिकारों की सुरक्षार्थ न्यायहित में परमावश्यक हैं। इस कारण अप्रार्थी को आदेश दिया जावें कि वह प्रार्थी के भरण पोषण व ईलाज हेत प्रतिमाह उसे भरण पोषण की राशि प्रदान करें। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को आदेशित किया जावें कि वह प्रार्थी के स्वामित्व के प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान संख्या 290 पैमाईश 20 गुणा 40 वर्गफुट वाके–बूटा सिंह कॉलोनी, कैथन, जिला कोटा शांतिपूर्ण निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थी के मकान में आकर प्रार्थी से नाजायज रूप से लड़ाई झगड़ा व गाली–गलौच नहीं करें तथा मकान के असल दस्तावेज प्रार्थी को पुनः लौटये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रतिपक्षी द्वारा कभी भी प्रार्थी के साथ न तो कोई गाली गलौच की न ही कभी कोई मारपीट की जबकि प्रार्थी के छोटे पुत्र टीकम नामा द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 के घर पर जाकर गाली गलौच व मारपीट की थी। प्रार्थी के मकान में प्रार्थी व उसका छोटा पुत्र निवास कर रहे हैं ।जबकि पुत्र दिनेश व उसके परिवार को घर के बाहर निकाल रखा है। प्रतिपक्षी दिनेश द्वारा समय समय पर प्रार्थी की आर्थिक रूप से मदद की है और जो मकान का निर्माण कराया है उसमें भी 5 लाख खर्च किये बंटवारे के आधार पर बंटवारे की दिनांक 26.02.2023 के आधार पर प्रतिपक्षी द्वारा उक्त मकान के निर्माण हेतु 5 लाख रूपये खर्च हुये उसके बाद प्रार्थी द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 व उसके परिवार को कुछ समय बाद मकान से बाहर निकाल दिया कि उक्त मकान में कोई हिस्सा नहीं है। प्रतिपक्षी संख्या 1 को प्रार्थी द्वारा बंटवारे के आधार पर उक्त मकान में जो हिस्सा दिया गया उसमें प्रतिपक्षी द्वारा निर्माण कार्य कराया गया तब वह अलग निवास करने लग गये उक्त मकान में अपने हिस्से के कमरे में ताला लगा रखा है जिसमें प्रतिपक्षी के घरे सामान एवं दुकान के सामान रखे थे जिसको प्रार्थी के छोटे पुत्र टीकम द्वारा ताला तोडकर सामान बाहर फेंक कर कमरे में कब्जा कर लिया जिसकी जानकारी

उपखण्ड अधिकारी
को

प्रतिपक्षी को होने पर उसका परिवाद न्यायालय में पेश किया जो विचाराधीन हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र को ही बहस माने जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, मारपीट एवं घर से निकालने एवं जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है। परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन मे ऐसा किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नही किया है जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असफल रहे है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा उक्त मकान को अपनी स्वर्जित आय से खरीद किया गया था । जिसका भू–आंवटन पत्र प्रार्थी के पक्ष में नगर पालिका कैथून जिला कोटा द्वारा दिनांक 18.02.2014 को जारी किया हुआ हैं। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत भू आवंटन की फोटो प्रति के अवलोकन से यह तथ्य तो स्पष्ट है कि उपरोक्त मकान प्रार्थी का स्वअर्जित सम्पत्ति है। अतः न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबंद करते हुये आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थी के स्वामित्व के प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान संख्या 290 पैमाईश 20 गुणा 40 वर्गफुट वाके–बूटा सिंह कॉलोनी, कैथन, जिला कोटा शांतिपूर्ण निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा प्रार्थी के मकान में आकर प्रार्थी से नाजायज रूप से लड़ाई झगड़ा व गाली–गलौच नहीं करें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 20/5/21 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा